दिनांक 05.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी सज्जनपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत गंगा सज्जनपुर में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन, परिसर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा दिनांक 05.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के,अजीतपुर के निकट गंगा नदी पर स्थित है एंव उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश अतंर्राज्य सीमा 10 कि0मी0 त्रिज्या के भीतर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 10.00 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 1.3 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको परु पानी छिडकाव किया जायेगा।
- कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 4.11 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री टिकम सिंह पाल द्वारा बताया गया, कि पूर्व में हुये अवैध खनन में 60 फिट गहराई तक नदि में खनन हुआ। खनन में प्रयुक्त होने वाले वाहन भी नियमानुसार नही हैं। वाहनों के चालने से क्षेत्र में अत्यधिक धूल की समस्या रहती है। उनके द्वारा कहा गया, कि खनन गढवाल मंडल विकास निगम के माध्य से होना चाहिये। अवैध खनन तत्कान बन्द हो तथा वैज्ञानिक तरीके से सरकारी संस्था के माध्यम से खनन हो। खनन के समय यह भी ध्यान रखा जाये कि स्थानीय लोगों को प्रथमिकता के आधार पर रोजगार मिले एवं खनन सामग्री हेतु मुल्यों में भी एकरूपता रखी जाये।
2. श्री सोनुपाल ग्राम सज्जनपुर द्वारा प्रकाश में लाया गया कि–
   - गांव के अधिकांश आबादि खनन से जुडी है। निजि पट्टे धारक तत्काल निरस्त होने चाहिये तथा खनन गढवाल मंडल विकास निगम के माध्य से होना चाहिये। खनन न होने से क्षेत्र में बेराजगारी बढ रही है तथा जीवीकोपार्जन में कठिनाई हो रही है।
   - मशीनों के द्वारा खनन बन्द होना चाहिये। मशीनों के प्रयोग होने से नदि में गहरे खुदान हो रहे है। जिससे पर्यावरण को नुकसान तथा क्षेत्र में बाढ का खतरा उत्पन्न होता है।
   - स्थानीय लोगों को प्रथमिकता के आधार पर रोजगार मिले, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अवैध खनन होने से सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा हैं जिसका विपरीत प्रभाव क्षेत्र में आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विकास पर भी पड रहा है।
   - नदि के बीच में मलबा एकत्र होने से नदि का पानी किनारों की तरफ बढ रहा है, जिससे ग्रामवासियों के खेत, जंगल इत्यादि कों नुकसान हो रहा है। अतः खनन आवश्यक है।
3. मौहम्मद यूसूफ द्वारा बताया गया, कि खनन होने के समय क्षेत्र में बाहरी वाहन अधिक प्रयुक्त होते है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि स्थानीय वाहनों को ही खनन सामग्री परिवहन में प्राथमिकता दी जाये तथा गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा यह भी बताया गया कि यदि खनन के सम्बन्ध में कोई शिकायत करनी है तो उसके लिये सक्षम स्तर क्या होगा? इस पर गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर उपस्थित निगम के कार्मचारियों से किसी भी समस्या के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। खनन सामग्री में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का खनन पट्टों के अनुसार अलग–अलग पंजीकरण होगा।
4. श्रीमती कस्तूरबा द्वारा रात के समय खनन सामग्री लेकर चलने वाले वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण तथा सडकों की टूट फूट व सडकों पर लगने वाले जाम के सम्बन्ध में कोरम को बताया गया। उनके द्वारा स्थानीय लोगों को खनन प्रारम्भ होने पर रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकार की समस्यायें सरकारी एजेन्सीयों के माध्यम से खनन होने पर नही होंगी। खनन नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से ही होगा तथा निगम द्वारा खनन की निकासी हेतु पृथक से मार्ग निर्धारित किया जायेगा।
5. स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द, मातृ सदन हरद्विार द्वारा बैठक के समय एक प्रत्यावेदन दिया गया, जिसको कार्यवृत्त का भाग बनाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया, कि

   - कार्यदायी संस्था की बातों में उनको आपत्ति है, कि उनके द्वारा गंगा की तुलना एक नाली से की गयी है, जबकि गंगा पुज्यनीय है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने T.O.R. में बताया गया है, कि वर्ष 1994 तक कोई खनन नही हुआ है, जिसका ब्यौरा उपलब्ध नही है। जिसका निष्कर्स यह निकाला जा सकता है कि जब तक खनन नही हुआ तब तक गंगा की धारा अविरल बही है।

- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुतीकरण में बताया गये "रेत, बजरी, बोल्डर परियोजना" पर उनको आपत्ति है क्योकि बजरी बोल्डर इत्यादि उपर से बहकर नही आते है। स्वयं प्रोजेक्ट स्टडी के साराश में कहा गया है कि नदि में वर्तमान में एकत्र मलबे का 90 प्रतिशत भाग जिसकी प्रतिपूर्ति होगी, निकाला जायेगा। जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा मातृ सदन की आपत्ति दिनांक 03.01.14 पर अपने जवाब में स्वयं कहा है, कि पत्थर एवं बोल्डर्स उपर से बहकर नही आते है। अतः यह प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है, जिस हेतु पुनः स्टडी कराकर वाछित कार्यवाही की जाये। यह भी अध्ययन करा लिया जाये कि पूर्व में खनन से कितना नुकसान हुआ है। तत्पश्चात ही खनन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी उचित होगी तब तक गंगा में खनन पूर्ण रूप से बन्द हो।
- उनको यह भी आपत्ति है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में तकनीकी बिन्दुओं पर बात ना करके रोजगार पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है। रोजगार हेतु उत्तराखण्ड सरकार की अन्य योजनायें जैसे– ग्रीन बोनस इत्यादि है, जिनसे आधारभूत सुविधाओं के विकास की बात अलग से की जा सकती है।
- कार्यदायी संस्था द्वारा 09.12.13 को जिलाधिकारी, हरिद्वार को इस आशय का पत्र लिखा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क से 500 मीटर की दूरी से अधिक पर वन्य जीव जन्तु बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता नही है, जबकि ऐसा कोई नियम अथवा कानून नही है जो इस तरह का प्रावधान सूचित करता हो। भारत सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों की राष्ट्रीय पार्क से 10 कि0मी0 के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव जन्तु बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है। कार्यदायी संस्था द्वारा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह किया जा रहा है अतः यह स्टडी निरस्त किये जाने योग्य है।
- कार्यदायी संस्था द्वारा खनन के लिये जो प्रस्तावित अक्षांश/देशान्तर बताये गये है, उनमें परियोजना क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकांशतः वन क्षेत्र हैं। जहा पर खनन कदापि नही होना चाहिये जिससे वन्य जीव–जन्तुओं पर दुषप्रभाव पडेगा।
- खनन पर गंगा में तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाये तथा मात्र रेत की निकासी हेतु पृथक से अध्ययन कराकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान स्टडी को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये।

उपरोक्त के आधार पर स्वामी दयानन्द द्वारा कार्यदायी संस्था को पूर्ण स्टडी कराये बिना भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुये इसकी स्टडी को चुनौती दी है। इस पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि सिचाई विभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार द्वारा फरवरी 2013 में इस क्षेत्र में खनन की संस्तुति की गयी है।

स्वामी दयानन्द द्वारा दिनांक 26.07.14 को जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा प्रमुख सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित पत्र का सन्दर्भ दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपर जिलाधिकारी एवं गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारी मातृ सदन जाकर उनकी आपत्ति दर्ज करें। जिस पर निगम द्वारा बताया गया कि उनके स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नही है।

6. मौहम्मद यूसूफ द्वारा पुनः बताया गया कि पूर्व में आमदा के नाम पर चण्डीघाट पर खनन हुआ है। उसका कोई विरोध किसी संस्था द्वारा नही किया गया है। वर्तमान में धोबीघाट खनन पट्टे पर भी अवैध खनन हो रहा है, जिस पर सदन को कोई आपत्ति नही है। यह भी बताया गया कि संरक्षित क्षेत्र झिलमिल 10 कि0मी0 के दायरे से दूर है। उनके द्वारा प्रतिवर्ष हर की पौडी पर अविरल प्रवाह बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा चुगान कराये जाने की बात भी कोरम से समक्ष रखी गयी। इस

टिप्पणी पर स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द द्वारा कहा गया, कि उनका विरोध पूर्ण खनन प्रतिबन्ध हेतु है। पूर्व में निजि पट्टों पर खनन की उनकी शिकायत पर छयालिस (46) खनन पट्टे निरस्त हुये है, जिसकी आख्या माननीय हरित प्राधिकरण में दी गयी है। उनके द्वारा विगत समय में बैरागी कैम में होने वाले अवैध खनन पर मातृ सदन के विरोध की बात भी बतायी गयी।

7. श्री सोहन सिंह द्वारा कहा गया कि समस्त ग्रामवासी चाहते है कि खनन हो साथ ही साथ गांव को बाढ से बचाने के लिये गांव के उपरी तरफ तटबन्ध का निर्माण भी कराया जाये।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा गंगा नदी सज्जनपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर मात्र एक व्यक्ति, स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द द्वारा हाथ उठाकर खनन के विरोध में मतदान किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय उपरोक्त एक व्यक्ति के अतिरिक्त उपस्थित अन्य समस्त जन समुदाय द्वारा हाथ उठाकर खनन का समर्थन किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवही के अनुक्रम में वैज्ञानिक तरीके से गंगा नदी सज्जनपुर से उप खनिज चुगान की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदाय को पढकर सुनाया गया तथा पुरी प्रकिया की विडियो रिर्काडिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

डॉ0 अंकुर कंसल
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी

रवनीत चीमा
अपर जिलाधिकारी (वित्त)
जिला हरिद्वार

दिनांक 05.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी सजनपुर पीली में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति

क्रम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	रवनीत चीमा अपर जिलाधिकारी (वित्त) हरिद्वार	[signature]
2	अंकुर कंसल से.अ. प्र. नि. बो. रुड़की	[signature]
3	[illegible]	[signature]
4	राजेन्द्र कठैत UEPPCB	[signature]
5 -	विजय कुमार	[signature]
6	सत्यप्रकाश	सत्यप्रकाश
7.	मोहन	[signature]
8.	धर्मपाल	[signature]
9	रमेशचन्द	रमेशचन्द
10	विक्रमसिंह	विक्रमसिंह
11	J. S. Rawat	[signature]
12	L. P. DHOUNDIYAL	[signature]
13	कंवरपाल	कंवरपाल
14	अमीचन्द	अमीचन्द
15	मो0 हनीफ	मो0 हनीफ
16.	SONU PAL	Sonupal
17	अमीरखान	अमीरखान
18	धर्मेन्द्रसिंह	धर्मेन्द्र

क्रम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
19	जसमेरसिंह	जसमेरसिंह
20.	दिलावर	दिलावर
21	चरणसिंह	चरणसिंह
22	सुरेशसैनी	सुरेशसैनी
23	विजयसिंह	विजयसिंह
24	बुधराम	बुधराम
25	भरत	भरत
26	युवराज	युवराज
27	मगनसिंह	मगनसिंह
28	जगदीश	जगदीश
29	रोतास	रोतास
30	सन्नी	सन्नी
31	Bhansingh	[illegible]
32	जोगेन्द्र	सिंह
33	लोहकसिंह	[illegible]
34	गगनसिंह	गगनसिंह
35	रामपालसिंह	रामपालसिंह
36	अंकित	अंकित
37	स्कोडसिंह	स्कोडसिंह
38	ब्रह्मचारी दयानन्द मातृसदन, हरिद्वार	ब्र0 दयानन्द

कम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
39	प्रो० यूसुफ	
40	दिरोराम	दिरोराम